



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 30-03-2025

विषय:- थाना रामनगर पुलिस व एसओजी द्वारा 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 18 राशि पड़वा/पड़िया (11 राशि पड़वा व 07 राशि पड़िया) व एक अदद पिक अप बोलेरो मैक्स नम्बर UP 65 PT 8626 बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बन्दरगाह रोड टेंगरा मोड़ के पास से पिक अप बोलेरो मैक्स नम्बर UP 65 PT 8626 से 18 राशि पड़वा, पड़िया के साथ अभियुक्त 1.राजू यादव उर्फ गोविन्द कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम मझियार पहाड़ थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर उम्र 26 वर्ष 2.राजू अंसारी पुत्र मतुल्ला अंसारी निवासी ग्राम गरौडी थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 35 वर्ष 3.आरिफ पुत्र छोटक निवासी ग्राम गरौडी थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया व पिक अप बोलेरो मैक्स नम्बर UP 65 PT 8626 अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-0062 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक- 30/03/2025 स्थान- बन्दरगाह रोड टेंगरा मोड़ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

अभियुक्त का विवरण –

1. राजू यादव उर्फ गोविन्द कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम मझियार पहाड़ थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर उम्र 26 वर्ष
2. राजू अंसारी पुत्र मतुल्ला अंसारी निवासी ग्राम गरौडी थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 35 वर्ष
3. आरिफ पुत्र छोटक निवासी ग्राम गरौडी थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण- अभियुक्तगण के कब्जे से 18 राशि जीवित पड़िया व पड़वा तथा पिक अप बोलेरो मैक्स नम्बर UP 65 PT 8626 अन्तर्गत धारा 207 एमवी0 एक्ट में सीज।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

राजू यादव उर्फ गोविन्द कुमार यादव

1. मु0अ0सं0- 0048/2023 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर।
2. मु0अ0सं0- 0031/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार राय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री मनीष कुमार मिश्र एसओजी प्रभारी वाराणसी
4. हे0का0 सत्यदेव गौड़ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 रणधीर गौड़ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. हे0का0 ब्रम्हदेव सिंह एसओजी टीम वाराणसी
7. का0 दिनेश एसओजी टीम वाराणसी ।
8. का0 प्रेम पटेल एसओजी टीम वाराणसी ।
9. का0 अंकित मिश्रा एसओजी टीम वाराणसी ।
10. का0 मनीष बघेल एसओजी टीम वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।